



दिनांक 18.01.2021

प्रेस विज्ञप्ति-18/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बस्ती/थाना नगर

- पुलिस कार्यवाही में 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,
 - लूट की घटना का अनावरण,
 - लूट के 11 हजार 700 रुपये नगद,
- 01 अवैध तमंचा , 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,
 - घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 18.01.2021 को थाना नगर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुड़ा पट्टी नहर के किनारे बदमाश की घेराबन्दी की गयी, तो बदमाश द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, बदमाश द्वारा की गयी फायरिंग में आरक्षी आनन्द घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षण कार्यवाही में अभियुक्त अनूप उर्फ मंगल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 11 हजार 700 रुपये नगद, 01 अवैध तमंचा , 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद गोरखपुर, सन्तकबीर नगर, बस्ती के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना नगर जनपद बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0-03/2021 धारा 392 भादवि में वॉछित चल रहा था।

इस सम्बन्ध में थाना नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

अनूप उर्फ मंगल निवासी गायघाट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी:-

1-लूट के 11 हजार 700 रूपये नगद,

2-01 अवैध तमंचा , 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

3-घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जलालपुर

- पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस,

- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक:17.01.2020 को थाना जलालपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान उसरहा पुखरवा मित्तूपुर रोड़ पर मोटर साइकिल बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग दी, बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग में आरक्षी शिवशंकर घायल हो गये, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्यवाही के दौरान बदमाश छोटू उर्फ नाटे घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अभियुक्त फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस , 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद अम्बेडकरनगर के थाना टांडा, अलीगंज व जलालपुर में कई अभियोग पंजीकृत हैं तथा गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जलालपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

छोटू उर्फ नाटे निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी :-

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस ,

2-01 मोटर साइकिल।

जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,

- 54 पक्के अवैध शराब बरामद

दिनांक 18.01.2021 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भराना मोड़ से पुरस्कार घोषित अपराधी यादराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 54 पक्के अवैध शराब बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0-14/2021 धारा 272/273/304 भादवि व 60ए आबकारी अधिनियम व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

यादराम निवासी जीतगढ़ी थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी :-

54 पक्के अवैध शराब।

जनपद कौशाम्बी / थाना सैनी

- 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,

दिनांक 18.01.2021 को थाना सैनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोही ब्रिज के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी सुजीत को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सैनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-600 / 2020 धारा 2 / 3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सैनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

सुजीत निवासी माधवापुर थाना किडगंज जनपद प्रयागराज।

जनपद आजमगढ़ / थाना कोतवाली

- पुलिस कार्यवाही में 05 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार,
 - 50 किलोग्राम अवैध गांजा,
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,
 - घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार,
 - 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 17.01.2021 की रात्रि थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में हाफिजपुर चौराहे से 05 मादक पदार्थ

तस्कर 1—श्रीकान्त 2—पीयूष 3—लालू 4—प्रमोद 5—जिलाजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 50 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त श्रीकान्त, पीयूष, प्रमोद शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के थाना तहबरपुर, दीदारगंज व आन्ध्रप्रदेश प्रान्त के थाना विशाखापट्टनम् में अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

- 1—श्रीकान्त निवासी जानकीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
- 2—पीयूष निवासी जानकीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
- 3—लालू निवासी जानकीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
- 4—प्रमोद निवासी बसही जरमेजपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
- 5—जिलाजीत निवासी तहबरपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी:-

- 1—50 किलोग्राम अवैध गांजा,
- 2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,
- 3—घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार,
- 4—01 मोटर साइकिल।

जनपद सीतापुर / थाना रामपुरमथुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय सीतापुर द्वारा थाना रामपुरमथुरा पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भादवि में अभियुक्त बिशम्बर को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
